संख्या सा–3–1019/दस–932-87

79

प्रेषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 1987।

विषय:—माह नवम्बर, 1986 में कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन।

वित्त
(सामान्य)
अनुभाग–3

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग–4 से जारी शासनादेश संख्या 4229/का–4–45 ई0एम0–86, दिनांक 5/6 दिसम्बर, 1986 में यह आदेश जारी किये गये थे कि हड़ताल पर गये कर्मचारियों/अधिकारियों को माह नवम्बर, 1986 के सम्पूर्ण देय वेतन का भुगतान कर दिया जाये किन्तु इसमें से हड़ताल की अवधि के वेतन के बराबर धनराशि अग्रिम के रूप में मानी जायेगी और इसके समायोजन के संबंध में बाद में आदेश निर्गत किये जायेंगे। चूंकि इस संबंध में अभी तक अन्तिम आदेश जारी नहीं हो सके हैं और इस बीच सेवा-निवृत्त हो चुके सरकारी सेवकों के नैवृत्तिक लाभों के निर्धारण में कठिनाई हो रही है। अतः इस समस्या के समाधान के लिये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन/ग्रेच्युटी के आगणन हेतु हड़ताल की अवधि को अनन्तिम रूप से अर्हकारी सेवा में शामिल कर लिया जायेगा और अन्तिम 10 माह के औसत का वेतन आगणन करने में यदि उक्त अवधि का कोई अंश आता है तो उसे भी अनन्तिम रूप से सम्मिलित करके औसत परिलब्धियों का आगणन कर लिया जायेगा जिसके आधार पर पेंशन का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार आगणित पेंशन/ग्रेच्युटी अनन्तिम रूप से स्वीकृत कर दी जायेगी जो तब तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में लागू रहेगी जब तक इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया जाय। जिन मामलों में इस व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी उनमें सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक से संलग्न प्रपत्र पर एक घोषणा पत्र भी भरा लिया जायेगा।

भवदीय,
सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव।

संख्या सा–3–1019(1)/दस–932-87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4—महालेखाकार द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
7—पेंशन सेल, वित्त विभाग।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव।

घोषणा-पत्र

मैं श्री..... एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं कि मुझे जो पेंशन/ग्रेच्युटी तथा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति आनुतोषिक की धनराशियां स्वीकृत की जानी हैं वे अनन्तिम होंगी और मैं यह भलीभांति समझता हूं कि उक्त पेंशन/ग्रेच्युटी तथा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति आनुतोषिक की धनराशियां मुझे नियमानुसार देय सीमा से अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षित की जा सकती हैं जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मुझे कोई अधिक भुगतान हो गया है तो मैं उसे वापस कर दूंगा।

दिनांक :

सेवा-निवृत्त होने वाले सेवक के हस्ताक्षर।

पद नाम--

पी0एस0 यू0पी0--ए0पी0 13 आ0 भाषा --11--6--87--(886)-1987--10,000 (प्रो0)।